



खालसा गर्ल्स कॉलेज, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)



प्रवेश प्रार्थना-पत्र

संकाय : कला ☐ विज्ञान ☐

सत्र 20 - 20

कक्षा.....

फोटो
छात्रा

विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक (रिक्त)..... छात्र पंजिका क्रमांक (रिक्त).....

प्रवेश क्रमांक..... प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक.....

1. प्रवेशार्थी का नाम (अ) हिन्दी में
(ब) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)
2. पिता का नाम
3. माता का नाम
4. संरक्षक का नाम एवं व्यवसाय
5. पता -स्थाई- -अस्थाई-

फोन फोन
पिन कोड पिन कोड

6. जन्म तिथि (अंकों में) शब्दों में
1 जुलाई 20 को आयु वर्ष माह दिन

7. यदि आप अनुसूचित/अनु.जन/पिछड़ी जाति के हैं तो जाति का नाम

8. ग्रामीण/शहरी राष्ट्रीयता

9. परिवार की विभिन्न स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय

10. कक्षा जिसमें छात्रा प्रवेश चाहती है

- | | | | |
|-------------------|----|----|----|
| 11. अनिवार्य विषय | 1. | 2. | 3. |
| ऐच्छिक विषय | 1. | 2. | 3. |

12. एन.एस.एस./स्पोर्ट्स/ में से आप जिस प्रवृत्ति में भाग लेना चाहते हैं उसका नाम

13. अन्तिम शिक्षण संस्था जहाँ आपने विगत में अध्ययन किया है

14. अन्तिम परीक्षा का विवरण :-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	सन्	नियमित/स्वयंपाठी	बोर्ड/वि.वि.	श्रेणी	प्रतिशत	विषय
(i)	सैकण्डरी						
(ii)	सीनियर सैकण्डरी						
(iii)	बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष						
(iv)	बी.ए./बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष						

15. स्पोर्ट्स जिसमें भाग लिया हो, यदि किसी में विशेष कीर्तिमान प्राप्त किया हो तो प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें व लिखें :-

16. छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मैडल आदि प्राप्त किया हो

प्रवेशार्थी द्वारा प्रतिज्ञा

मैंने महाविद्यालय की विवरणिका में दिये समस्त नियमों को पढ़ लिया है वे सब मुझे मान्य हैं तथा भविष्य में महाविद्यालय के प्रशासन द्वारा लागू किये जाने वाले सब नियम मुझे स्वीकार्य होंगे। मैं यह घोषणा करती हूँ कि महाविद्यालय में मेरे अध्ययन तथा अन्य परिस्थितियों के सम्बन्ध में अपने अभिभावकों को नियमिति रूप से सूचित रखूंगी। मेरी अध्ययन के प्रति उदासीनता अथवा मेरा गम्भीर दोषाचरण अथवा नियमों के उल्लंघन की अवस्था में महाविद्यालय के प्राचार्य मुझे किसी भी परीक्षा में बैठने से अथवा महाविद्यालय के निष्कासन का जो दण्ड देंगे वह मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं यह घोषणा करती हूँ कि मैंने जो उपर्युक्त विवरण दिये हैं वे सब ठीक हैं। मैं अपने अभिभावकों की सहमति से महाविद्यालय में प्रवेश ले रही हूँ। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की राजनैतिक प्रवृत्ति अथवा किसी अन्दोलन में भाग नहीं लूँगी।

मैं अपने महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा समझूंगी।

दिनांक.....

(प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर)

प्रवेशार्थी के पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा

प्रवेशार्थी मेरी पुत्री/बहिन है। मैं इसे आपके महाविद्यालय में प्रविष्ट करवाना चाहता हूँ। वह महाविद्यालय के समस्त नियमों का पालन करेगी तथा अपना आचरण ठीक रखेगी। मैं समस्त शुल्क आदि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं महाविद्यालय के प्राचार्य को अधिकृत करता हूँ कि महाविद्यालय प्रांगण में प्राचार्य इस विद्यार्थी के संरक्षक के रूप में सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण ठीक है।

दिनांक.....

(पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर)

संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की सूची :- (प्रपत्रों को संलग्न करें।)

1. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता परीक्षा के प्राप्तांकों की मूल प्रति, प्रतिलिपि सहित।
2. अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।
4. अन्तिम विद्यालय के प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्रता प्रमाण-पत्र।
5. आयु संबंधी प्रमाण-पत्र उच्च अथवा उच्चतर विद्यालय की अन्तिम परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
6. प्राईवेट प्रवेशार्थी द्वारा न्यूनतम योग्यता परीक्षा के उत्तीर्ण करने तथा आयु एवं चरित्र संबंधी पर्याप्त एवं विश्वनीय प्रमाण-पत्र।

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है अतः श्रीमति/कुमारी को विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त होने तक अस्थाई प्रवेश दिया जाता है।

प्राचार्य

संयोजक प्रवेश समिति

देय राशि रसीद क्रमांक _____ दिनांक _____ से प्राप्त की
कक्षा जिसमें प्रविष्ट किया गया _____ विभाग _____ प्रवेश क्रमांक _____ दिनांक _____

लेखापाल हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रवेश लिपिक

UNIVERSITY OF MAHARAJA GANGA SINGH

I declare that :-

1. I have not been convicted of any criminal offence and not have been released on bail in connection with any criminal case.
2. No case of criminal offence or morality is pending against me in any court of law.
3. No complaint or FIR has been lodged against me by the university/Principal of college/affiliated college or any other competent authority.

I have not restored to any act of indiscipline during the previous year.

Signature of Student

प्रवेश संबंधी नियम

- विषय "पहले आए पहले पाए" के आधार पर आवंटित होंगे।
- प्रवेश लेने के बाद विषय परिवर्तन के लिए आवेदन कर्ता को मात्र एक विषय के परिवर्तन की अनुमति एक ही बार दी जा सकेगी। यदि उस विषय में स्थान उपलब्ध है।
- विषय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि से 30 दिन की अवधि में 50 रुपये परिवर्तन शुल्क जमा करवाने पर ही किया जा सकेगा।

प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता (ELIGIBILITY)

- कला संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सीनियर सैकण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- विज्ञान संकाय में प्रवेश हेतु सी.सै.परीक्षा विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पूरक परीक्षा में बैठने वाली छात्राओं को अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा जोकि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही नियमित माना जाएगा। राजस्थान राज्य से बाहर की छात्राओं के लिए 10+2 में पूरी तरह उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

उपरोक्त कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन विवरणिका (Prospects) के साथ निर्धारित फार्म को पूरी तरह भर कर प्रवेशाधिकारी को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करवाने पर होगा। प्रवेश प्रार्थना पत्र (Admission Form) के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र (Certificates) संलग्न करने होंगे—

- प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता वाली परीक्षा की मूल अंक तालिका की दो फोटो सत्यापित प्रतिलिपियां।
- अंतिम शिक्षण संस्था का मूल स्थानान्तरण पत्र (Transfer Certificate)
- अंतिम शिक्षण संस्था की प्राचार्य द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)
- माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
- टिकट लगे दो लिफाफे जिन पर घर का पता लिखा हुआ हो।
- फार्म पर चिपकाने एवं परिचय पत्र पर लगाने के लिए पासपोर्ट साइज की दो फोटो।
- SC/ST/OBC/Handicapped के प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- जिन छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश लेना होगा। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय के अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से ही गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
- प्रवेश के नियम धीकानेर विश्वविद्यालय अथवा राजस्थान सरकार की सूचना एवं निर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय है।
- प्रवेश पूरी फीस जमा करवा देने पर ही पूर्ण माना जाएगा।
- विश्वविद्यालय से स्वीकृति मिलने तक प्रवेश अस्थाई माना जाएगा।
- महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताए किसी छात्रा विशेष को प्रवेश न दें।
- ऐसा अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो, का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

शुल्क सम्बन्धी नियम

- शुल्क पूरे सत्र का जमा करवाना होगा चाहे छात्रा का प्रवेश किसी भी दिन हुआ हो।
- समस्त वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक साथ देने होंगे जबकि शिक्षण शुल्क सत्र में दो बार छः माह किस्तों में जुलाई और दिसम्बर माह में देय होगा।
- महाविद्यालय शुल्क प्राप्ति की रसीद सुरक्षित रखी जाए तथा आवश्यकता होने पर कार्यालय में प्रस्तुत की जाए।
- एक बार शुल्क लेने के बाद प्रवेशार्थी का शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। न ही कम्प्यूटर राशि वापिस की जाएगी।
- सभी छात्राओं को प्रवेश के साथ एक परिचय पत्र (Identity Card) जारी किया जाएगा। परिचय पत्र खो जाने की स्थिति में 30/- शुल्क देकर नया परिचय पत्र लिया जा सकता है।

उपस्थिति ATTENDANCE सम्बन्धी नियम

- महाविद्यालय की कक्षाओं के आरम्भ से ही उपस्थिति की गणना की जाएगी।
- विश्वविद्यालय प्रावधान अनुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर छात्रा परीक्षा में बैठने की पात्र नहीं होगी। प्रावधान 0-145 के अनुसार ऐसी नियमित छात्राएं जिन्हें उपस्थिति की कमी के कारण रोका गया है, वे स्वयंपाठी के रूप में उसी वर्ष परीक्षा में प्रविष्ट हो सकती हैं परन्तु उसके लिए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क भरना होगा। प्रावधान 0-144 के अनुसार प्राचार्य को 3 प्रतिशत तथा कुलपति को 3 प्रतिशत तक उपस्थिति में छूट देने का अधिकार है परन्तु उसके लिए विशेष कारण प्रमाणित करना होगा।
- अपनी उपस्थिति जानने का छात्र का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
- निदेशालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम उपस्थिति सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के आदेशों की अनुपालना प्रत्येक छात्रा को ध्यान में रखनी होगी।
- जो विद्यार्थी एन.सी.सी. परेड या कैम्प, खेलकूद प्रतियोगिता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाती है तो उपस्थिति का लाम लेने के लिए वे जाने से पूर्व लिखित रूप में कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें।

महाविद्यालय त्याग करने संबंधी नियम

- यदि कोई छात्रा सत्र के मध्य में महाविद्यालय को छोड़ना चाहे तो लिखित आवेदन करना होगा। यदि वह दिना अनुमति के महाविद्यालय को छोड़ देती है तो उससे पूरे सत्र अथवा उस माह तक का शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जिस माह में उसने महाविद्यालय के लिए लिखित में आवेदन किया था।
- छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) के लिए लिखित में आवेदन करना होगा। तथा निर्धारित शुल्क और अन्य देय राशि का भुगतान करना होगा।

महाविद्यालय में अध्ययन के विषय (COURSES OFFERED)

महाविद्यालय धीकानेर विश्वविद्यालय से संबद्ध है तथा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के अध्यापन की व्यवस्था है।

(क) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कला संकाय में (Three Year Degree Course in Arts (B.A.))

एच्छिक विषय (Optional Sub.)

निम्न में से कोई तीन चिन्हित करें।

- अंग्रेजी साहित्य
- पंजाबी साहित्य
- हिन्दी साहित्य
- राजनीति शास्त्र
- भूगोल
- अर्थशास्त्र
- लोक प्रशासन
- गृहविज्ञान
- कम्प्यूटर
- गणित
- समाज शास्त्र
- इतिहास

अनिवार्य विषय

(केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए)

- एलिमेंटरी कम्प्यूटर (Elem. Computer)
- पर्यावरण अध्ययन (Environmental Std.)
- सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी

(ख) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय में

(Three Year Degree Course in Science (B.Sc.))

एच्छिक विषय (Optional Sub.)

- रसायन शास्त्र Chemistry
- भौतिक विज्ञान
- जीव विज्ञान Zoology
- वनस्पति विज्ञान Botany
- गणित
- कम्प्यूटर

अनिवार्य विषय

(केवल प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए)

- एलिमेंटरी कम्प्यूटर (Elem. Computer)
- पर्यावरण अध्ययन (Environmental Std.)
- सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी

अनुशासन संबंधी नियम

अनुशासन (DISCIPLINE) सम्बन्धी नियम

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुशासन का प्रसार करने के लिए छात्राओं से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है।

- ♦ प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय के नियमों, परम्पराओं, प्राचार्य के आदेशों तथा महाविद्यालय की गरिमा के अनुरूप आचरण करना होगा।
- ♦ महाविद्यालय की सभी छात्राएं बुधवार के अतिरिक्त बाकी सभी दिनों में महाविद्यालय के निर्धारित गणवेश (Uniform) में आएंगी एवं बुधवार को अशोभनीय (Indecent) वस्त्र न पहनें जाएं।
- ♦ खाली कांलाश में जलपान गृह (Canteen) पुस्तकालय कक्ष (Library) अथवा छात्रा कक्ष (Common Room) का उपयोग करें। बरामदे में घूमकर अनुशासन में व्यवधान उत्पन्न न करें।
- ♦ महाविद्यालय प्रांगण में एक बार प्रवेश करने के बाद 11:30 बजे से पहले महाविद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभिभावकों की अनुमति पर अथवा प्राचार्य की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में ही बाहर जानें की अनुमति दी जाएगी।
- ♦ किसी व्याख्याता के अवकाश पर रहने की स्थिति में, छात्राओं की कांलाश उसके पश्चात न होने के की स्थिति में 11:30 बजे से पहले प्राचार्य की अनुमति से छात्राएं घर जा सकती हैं।
- ♦ छात्राओं ने अगर फोन करना है तो कारण बता कर प्राचार्य की अनुमति से ही फोन करने दिया जाएगा। फोन आने पर किसी छात्रा को कक्षा से बुलवाकर बात नहीं करवाई जाएगी।

- ♦ किसी भी छात्रा को महाविद्यालय परिसर में मोबाईल फोन रखने की सख्त मनाही है। प्राप्त होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- ♦ प्रत्येक छात्रा संस्था के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। वातावरण को बिगाड़ने वाली छात्राओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
- ♦ अनुशासन भंग करने की स्थिति में अगर छात्रा को महाविद्यालय से कोई सहायता अथवा सुविधा मिलती है तो उसे वापिस ले लिया जाएगा।
- ♦ महाविद्यालयों की दीवारों और डेस्कों पर कुछ लिखना और उन्हें खराब करना छात्राओं के विरुद्ध कार्यवाही का कारण माना जाएगा।
- ♦ प्रत्येक छात्रा संस्था के प्रांगण को साफ रखने का प्रयास करें और किसी तरह की कोई वस्तु इधर उधर न फेंके जिससे प्रांगण गन्दा नजर आए।
- ♦ जलपान गृह एवं कॉमन रूम में शालीनता का व्यवहार रखें।
- ♦ साईकलें व वाहन निर्धारित जगह पर रखें।
- ♦ महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, प्राचार्य, कर्मचारियों के प्रति आपका व्यवहार सन्तोषपूर्ण होना चाहिए। आपका आचरण एवं व्यवहार महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं गौरव का जीवन्त प्रतीक है।

छात्राओं से मिलने वाले आगन्तुको (Visitors) के लिए नियम

- ♦ दिना प्रायोजन के किसी भी छात्रा को आगन्तुको से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अति आवश्यक होने पर प्राचार्य की अनुमति से ही ऐसा संभव होगा।
- ♦ किसी भी युवक को छात्राओं से किसी भी साधारण अथवा विशेष परिस्थिति में मिलने नहीं दिया जाएगा। केवल अभिभावकों की अनुमति पत्र होने की स्थिति में प्राचार्य कक्ष में छात्रा से मिल सकता है।

गणवेश (Uniform)

कमीज	:	
सलवार व दुपट्टा	:	सफेद (White) रंग का
स्वैटर	:	काला (Black) (बिना किसी डिजाइन के)